

जावक क्रमांक 4597 / 2018 दिनांक 25.09.2018

एजेण्डा क्रमांक-03 (पूरक
एजेण्डा)

राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 28-09-2018 को आयोजित बैठक का एजेण्डा

नोट:- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर याचिका क्रमांक 8171 / 2018 में पारित आदेश में दिनांक 11.04.2018 के पालन में मार्ग भोपाल से नीमच के नवीन स्थाई परमिट के प्रकरणों को प्राधिकार के समक्ष सुनवाई हेतु रखा गया है। आवेदक कोई दस्तावेज, प्रस्तुत करना चाहे तो वे प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं :-

स्थान :-परिवहन आयुक्त, कैम्प कार्यालय भोपाल

समय प्रातः 11.00 बजे

नवीन सक्र	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	आवेदक / परमिटधारी का नाम एवं वाहन विवरण	मार्ग का नाम एवं प्रस्तावित समयचक्र	स्टेण्डवाई वाहन	आपत्तिकर्ता	रिमार्क
1	4701ए/एसटीए/18 दिनांक 12.04.2018	श्री मदनलाल छावडा पुत्र श्री गणेश दास जी नीमच म.प्र. एमपी 44 पी 9888, बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2016	मार्ग भोपाल से नीमच व्हाया श्यामपुर, कुईवार, नरसिंहगढ, बीवारा, राजगढ, खिलचीपुर, इकलेरा, पाटन, झालावाड, झालावाडरोड, भानपुरा, चम्बलडेम, रामपुरा, मनासा 01 एकल फेरा प्रतिदिन की नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति के आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 8171/18 में पारित आदेश दि. 11.04.2018 के अनुक्रम में विचार।	निरंक		—यह मार्ग म.प्र. एवं राजस्थान के करार के आरए के परि. —ख के स.क्र. 176 पर अंकित है। म. प्र. नॉमिनी के लिये 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
			स्टेशन			
			प्र. 07.30	भोपाल	19.30	आ.
			आ 20.00	नीमच	07.00	प्र.
1ए	4701बी/एसटीए/18 दिनांक 12.04.2018	श्री मदनलाल छावडा पुत्र श्री गणेश दास जी मंदसौर म.प्र. एमपी 14 पीए 2088, बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2015	मार्ग भोपाल से नीमच व्हाया श्यामपुर, कुईवार, नरसिंहगढ, बीवारा, राजगढ, खिलचीपुर, इकलेरा, पाटन, झालावाड, झालावाडरोड, भानपुरा, चम्बलडेम, रामपुरा, मनासा 01 एकल फेरा प्रतिदिन की नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति के आवेदन पत्र पर विचार।	निरंक		—तदैव—
			स्टेशन			
			प्र. 07.30	भोपाल	19.30	आ.
			आ 20.00	नीमच	07.00	प्र.

1बी	1073/एसटीए/08 दिनांक 12.06.2008	श्री मदनलाल छावडा पुत्र श्री गणेश दास जी नीमच, म.प्र एमपी 44 एफ 0104, बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2002	मार्ग भोपाल से नीमच व्हाया झालावाड, इकलेरा, खिलचीपुर, 01 एकल फेरा प्रतिदिन की नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति के आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.00</td> <td>नीमच</td> <td>20.00</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ</td> <td>19.30</td> <td>भोपाल</td> <td>07.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.00	नीमच	20.00	आ.	आ	19.30	भोपाल	07.30	प्र.	निरंक		---तदैव---
		स्टेशन																			
प्र.	07.00	नीमच	20.00	आ.																	
आ	19.30	भोपाल	07.30	प्र.																	
1सी	1085/एसटीए/08 दिनांक 12.06.2008	श्री मदनलाल छावडा पुत्र स्व. श्री गणेश दास जी नीमच, म.प्र एमपी 44 एफ 0141 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2005	मार्ग भोपाल से नीमच व्हाया झालावाड, इकलेरा, खिलचीपुर, 01 एकल फेरा प्रतिदिन की नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति के आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>20.30</td> <td>नीमच</td> <td>06.55</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ</td> <td>06.35</td> <td>भोपाल</td> <td>21.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	20.30	नीमच	06.55	आ.	आ	06.35	भोपाल	21.00	प्र.	निरंक		---तदैव---
		स्टेशन																			
प्र.	20.30	नीमच	06.55	आ.																	
आ	06.35	भोपाल	21.00	प्र.																	
1डी	1087/एसटीए/08 दिनांक 12.06.2008	श्री मदनलाल छावडा पुत्र स्व. श्री गणेश दास जी नीमच, म.प्र एमपी 44 एफ 0140, बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2005	मार्ग भोपाल से नीमच व्हाया झालावाड, इकलेरा, खिलचीपुर, 01 एकल फेरा प्रतिदिन की नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति के आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>20.30</td> <td>नीमच</td> <td>06.55</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ</td> <td>06.35</td> <td>भोपाल</td> <td>21.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	20.30	नीमच	06.55	आ.	आ	06.35	भोपाल	21.00	प्र.	निरंक		---तदैव---
		स्टेशन																			
प्र.	20.30	नीमच	06.55	आ.																	
आ	06.35	भोपाल	21.00	प्र.																	
1ई	1088/एसटीए/08 दिनांक 12.06.2008	श्री मदनलाल छावडा पुत्र स्व. श्री गणेश दास जी नीमच, म.प्र एमपी 44 एफ 0188 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2001	मार्ग भोपाल से नीमच व्हाया झालावाड, इकलेरा, खिलचीपुर, 01 एकल फेरा प्रतिदिन की नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति के आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.00</td> <td>नीमच</td> <td>20.00</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ</td> <td>19.30</td> <td>भोपाल</td> <td>07.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.00	नीमच	20.00	आ.	आ	19.30	भोपाल	07.30	प्र.	निरंक		---तदैव---
		स्टेशन																			
प्र.	07.00	नीमच	20.00	आ.																	
आ	19.30	भोपाल	07.30	प्र.																	
1एफ	1892/एसटीए/09 दिनांक 26.05.2009	श्रीमती गीता देवी बाहेती पत्नि श्री कैलाशचन्द्र जी बाहेती नीमच, म.प्र एमपी 44 पी 0459 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2008	मार्ग भोपाल से नीमच व्हाया झालावाड, इकलेरा, खिलचीपुर, भानपुरा, चम्बल, रामपुरा मनासा 01 एकल फेरा प्रतिदिन की नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति के आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>11.20</td> <td>नीमच</td> <td>18.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ</td> <td>23.40</td> <td>भोपाल</td> <td>06.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	11.20	नीमच	18.30	आ.	आ	23.40	भोपाल	06.00	प्र.	निरंक		---तदैव---
		स्टेशन																			
प्र.	11.20	नीमच	18.30	आ.																	
आ	23.40	भोपाल	06.00	प्र.																	

1जी	1893/एसटीए/09 दिनांक 26.05.2009	श्रीमती गीता देवी बाहेती पत्नि श्री कैलाशचन्द्र जी बाहेती नीमच, म.प्र. एमपी 44 पी 0459 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2008	मार्ग भोपाल से नीमच व्हाया झालावाड, इकलेरा, खिलचीपुर, भानपुरा, चम्बल, रामपुरा मनासा 01 एकल फेरा प्रतिदिन की नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति के आवेदन पत्र पर विचार।	निरंक		---तदैव---															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>11.20</td> <td>नीमच</td> <td>18.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ</td> <td>23.40</td> <td>भोपाल</td> <td>06.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	11.20	नीमच	18.30	आ.	आ	23.40	भोपाल	06.00	प्र.			
		स्टेशन																			
प्र.	11.20	नीमच	18.30	आ.																	
आ	23.40	भोपाल	06.00	प्र.																	
1एच	3877/एसटीए/14 दिनांक 08.07.2014	श्री शैख जमील पुत्र श्री शेख मुस्ताख नीमच म.प्र. आरजे 17 पीए 1163 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2013	मार्ग भोपाल से नीमच व्हाया श्यामपुर, कुईवार, नरसिंहगढ, बीवारा, राजगढ, खिलचीपुर, इकलेरा, पाटन, झालावाड, झालावाडरोड, भानपुरा, चम्बलडेम, रामपुरा, मनासा 01 एकल फेरा प्रतिदिन की नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति के आवेदन पत्र पर विचार।	निरंक		---तदैव---															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.30</td> <td>भोपाल</td> <td>19.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ</td> <td>20.00</td> <td>नीमच</td> <td>07.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.30	भोपाल	19.30	आ.	आ	20.00	नीमच	07.00	प्र.			
		स्टेशन																			
प्र.	07.30	भोपाल	19.30	आ.																	
आ	20.00	नीमच	07.00	प्र.																	

- विशेष नोट :- 1-उक्त एजेण्डे में उक्त मार्गों से संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्रों को ही माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के पालन में सुनवाई हेतु रखा गया है।
- 2-आवेदक को स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम पंजीकृत वाहनों एवं जारी परमिटों की जानकारी के संबंध में शपथ पत्र व कर बकाया ना होने के संबंध में कर अनापत्ति प्रमाण पत्र बैठक दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 3-म.प्र. शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-21-2015/आठ भोपाल दिनांक 07.09.2016 के अनुसार स्थाई परमिटों हेतु निर्धारित किये गये शुल्क के अनुसार अंतर की राशि सुनवाई पूर्व दि० 28.09.2018 तक जमा कर प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 4- उक्त विषय में यदि आवेदक अन्य कोई दस्तावेज/कोई अन्य वाहन या अन्य कोई जानकारी प्रस्तुत करना चाहे तो वे दिनांक 28.09.2018 को बैठक के दौरान प्रस्तुत कर सकता है।
- 5-उक्त मार्गों के प्रकाशित आवेदनों के अतिरिक्त यदि उक्त मार्गों से संबंधित किसी आवेदक का कोई पूर्व आवेदन प्रकाशन में सम्मिलित ना हुआ हो तो वो प्रमाण सहित पूर्व में प्रस्तुत आवेदन/शुल्क दस्तावेज आदि की प्रति स्वयं अथवा वैध अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अभिभाषक के माध्यम से कर सकता है। साथ ही उक्त विषय में यदि आवेदक अन्य कोई दस्तावेज/कोई अन्य वाहन संबंधी दस्तावेज या अन्य कोई जानकारी प्रस्तुत करना चाहे तो वे बैठक दिनांक 28.09.2018 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिनांक :-

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार,
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, म.प्र. के कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. प्रभारी, स्मार्ट चिप कंपनी, मोतीमहल की ओर उक्त एजेण्डा का प्रकाशन विभागीय वेवसाइट www.mptransport.org पर करते हुये समस्त संभागीय उप परिवहन आयुक्त एवं अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की ओर एजेण्डा को कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं स्थानीय समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित कराने हेतु सूचनार्थ।

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार, म.प्र.